



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112023-250217
CG-DL-E-25112023-250217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4804]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2023/अग्रहायण 1, 1945

No. 4804]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2023/AGRAHAYANA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर 2023

का.आ. 5013(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH151A के कि.मी. 0 से कि.मी.242.9 (ध्रोल- भादरा- पीपळीया) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रान्त अफसर ध्रोल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH151A के कि.मी. 0 से कि.मी.242.9 (ध्रोल- भादरा-पीपळीया) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: जामनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जोडिया					
गांव का नाम: दुधई					
1	641/P1	निजी	कृषि	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
2	642/P1	निजी	कृषि	0.0211 (हेक्टेयर)	0.0211
3	694/P1	निजी	गैर कृषि	0.0682 (हेक्टेयर)	0.0682
4	705/P1	निजी	कृषि	0.0422 (हेक्टेयर)	0.0422
5	706/P1	निजी	कृषि	0.2094 (हेक्टेयर)	0.2094
6	707/P1	निजी	कृषि	0.0475 (हेक्टेयर)	0.0475
7	708/P1	निजी	कृषि	0.0195 (हेक्टेयर)	0.0195
8	709	सरकारी	खराबा	0.1911 (हेक्टेयर)	0.1911
9	761	सरकारी	खराबा	0.0875 (हेक्टेयर)	0.0875
गांव का नाम: तराना					
10	11	निजी	कृषि	0.0222 (हेक्टेयर)	0.0222
11	13	निजी	कृषि	0.0789 (हेक्टेयर)	0.0789
12	168	निजी	कृषि	0.0266 (हेक्टेयर)	0.0266
13	169	निजी	कृषि	0.0226 (हेक्टेयर)	0.0226
14	20	निजी	कृषि	0.0298 (हेक्टेयर)	0.0298
15	207/P1	निजी	कृषि	0.0147 (हेक्टेयर)	0.0147
16	352	सरकारी	खराबा	0.2868 (हेक्टेयर)	0.2868
17	353	सरकारी	खराबा	0.1347 (हेक्टेयर)	0.1347

18	409	सरकारी	खराबा	0.3863 (हेक्टेयर)	0.3863
19	50/P1	निजी	कृषि	0.0468 (हेक्टेयर)	0.0468
20	505	सरकारी	खराबा	0.0578 (हेक्टेयर)	0.0578
21	52/P1	निजी	कृषि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
22	56/P4	निजी	कृषि	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
23	57/P1	निजी	कृषि	0.0131 (हेक्टेयर)	0.0131
24	736/P1	निजी	कृषि	0.0263 (हेक्टेयर)	0.0263
25	739/P1	निजी	कृषि	0.0646 (हेक्टेयर)	0.0646
26	763	सरकारी	खराबा	0.0382 (हेक्टेयर)	0.0382
गांव का नाम: केशिया					
27	1600/1/P1	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
28	1600/2/P1	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
29	1847/P	निजी	कृषि	0.0357 (हेक्टेयर)	0.0357
30	58/P2/P2	सरकारी (पुराना)	खराबा	0.0181 (हेक्टेयर)	0.0181
31	600/P	निजी	कृषि	0.0672 (हेक्टेयर)	0.0672
32	715/P	सरकारी (पुराना)	खराबा	0.0481 (हेक्टेयर)	0.0481
33	716/P	सरकारी (पुराना)	खराबा	0.1103 (हेक्टेयर)	0.1103
34	88	निजी	कृषि	0.0252 (हेक्टेयर)	0.0252
Total					2.3753

[फा. सं. -NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3A]

अभय जैन, उप सचीव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, dated 22nd November 2023

S.O. 5013(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH151A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 242.9 (Dhrol-Bhadra-Pipaliya) in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, prant officer Dhrol in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard,

either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH151A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 242.9 (Dhrol-Bhadra-Pipaliya) in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: JAMNAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jodiya					
Village: Dudhai					
1	641/P1	Private	Agriculture	0.073 (Hectare)	0.073
2	642/P1	Private	Agriculture	0.0211 (Hectare)	0.0211
3	694/P1	Private	Non Agriculture	0.0682 (Hectare)	0.0682
4	705/P1	Private	Agriculture	0.0422 (Hectare)	0.0422
5	706/P1	Private	Agriculture	0.2094 (Hectare)	0.2094
6	707/P1	Private	Agriculture	0.0475 (Hectare)	0.0475
7	708/P1	Private	Agriculture	0.0195 (Hectare)	0.0195
8	709	Government	Kharaba	0.1911 (Hectare)	0.1911
9	761	Government	Kharaba	0.0875 (Hectare)	0.0875
Village: Tarana					
10	11	Private	Agriculture	0.0222 (Hectare)	0.0222
11	13	Private	Agriculture	0.0789 (Hectare)	0.0789
12	168	Private	Agriculture	0.0266 (Hectare)	0.0266
13	169	Private	Agriculture	0.0226 (Hectare)	0.0226
14	20	Private	Agriculture	0.0298 (Hectare)	0.0298
15	207/P1	Private	Agriculture	0.0147 (Hectare)	0.0147
16	352	Government	Kharaba	0.2868 (Hectare)	0.2868
17	353	Government	Kharaba	0.1347 (Hectare)	0.1347
18	409	Government	Kharaba	0.3863 (Hectare)	0.3863
19	50/P1	Private	Agriculture	0.0468 (Hectare)	0.0468
20	505	Government	Kharaba	0.0578 (Hectare)	0.0578
21	52/P1	Private	Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016

22	56/P4	Private	Agriculture	0.0308 (Hectare)	0.0308
23	57/P1	Private	Agriculture	0.0131 (Hectare)	0.0131
24	736/P1	Private	Agriculture	0.0263 (Hectare)	0.0263
25	739/P1	Private	Agriculture	0.0646 (Hectare)	0.0646
26	763	Government	Kharaba	0.0382 (Hectare)	0.0382
Village: Keshiya					
27	1600/1/P1	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
28	1600/2/P1	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
29	1847/P	Private	Agriculture	0.0357 (Hectare)	0.0357
30	58/P2/P2	Government (old)	Kharaba	0.0181 (Hectare)	0.0181
31	600/P	Private	Agriculture	0.0672 (Hectare)	0.0672
32	715/P	Government (old)	Kharaba	0.0481 (Hectare)	0.0481
33	716/P	Government (old)	Kharaba	0.1103 (Hectare)	0.1103
34	88	Private	Agriculture	0.0252 (Hectare)	0.0252
Total					2.3753

[F.No. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.